

1921

पत्रावली पेश हुयी 9 बुलात रूप
बहान प्राप्त पत्र हुनी । पत्रावली शक्ति
आदिप हेतु दिनांक 26/11/25 मज
पेश हो।

सहायक उपखण्ड अधिकारी
बरोड (कोटपूतला-बरोड)

बरोड (कोटपूतला-बरोड)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :- रामकिशोर मीना-II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न० :- 45/2023
दायर दिनांक :- 19.07.2023
निर्णय दिनांक :-

उनवान

1. उदयसिंह पुत्र रामप्रताप जाति अहीर निवासी बिघाना तहसील बहरोड़।
2. कर्णसिंह पुत्र रामप्रताप जाति अहीर निवासी बिघाना तहसील बहरोड़।
3. कंवरसिंह पुत्र रामप्रताप जाति अहीर निवासी बिघाना तहसील बहरोड़।
4. शीशराम पुत्र रामप्रताप जाति अहीर निवासी बिघाना तहसील बहरोड़। ...प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब बहरोड़ जिला कोटपूतली-बहरोड़ राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री दाताराम यादव अधिवक्ता प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार

:- निर्णय :-

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकूलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरार नम्बर 55 रकबा 38 ऐयर वाके ग्राम बिघाना तहसील बहरोड़ प्रार्थीगण 1/4.1/4 भाग के खातेदार काश्तकार अंकित है। उक्त आराजी कि डाले बन्दी टूटने पर हम प्रार्थीगण ने तहसीलदार बहरोड़ से दिनांक 09.06.2023 को मौके पर पैमाईश कर निशादेयी की गई। तहसीलदार बहरोड़ के अनुसार पत्थरगढी हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। भविष्य में डोल बन्दी को लेकर कोई विवाद पैदा ना हो मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 09.06.2023 के आराजी मुतनाजा के पत्थरगढी करायी जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। न्यायालय जारी नोटिस की पालना में अप्रार्थीगण पैरोकार सरकार द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र को स्वयं सिद्ध करे एवं न्यायालय क्षेत्राधिकार से संबधित है।

हमने प्रार्थीगण के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रार्थीगण के वकील की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 26 में

उपखण्ड आयुक्त
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

आराजी ख0न0 55 रकबा 38 ऐयर वाके ग्राम बिघाना तहसील बहरोड में प्रार्थीगण सम्पूर्ण आराजी का खातेदार दर्ज है। प्रार्थी मुताबिक रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 09.06.2023 उक्त खसरा नम्बर की पैमाईश करवाई गई है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिस पर अन्य अप्रार्थी की आपत्ति पत्रावली में प्राप्त नही है। जिस सूरत में पत्थरगढी करवाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बहरोड को आदेश दिये जाते है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर ख0न0 55 रकबा 38 ऐयर वाके ग्राम बिघाना तहसील बहरोड के आराजी की पैमाईश करे एवं आराजी के आस पास के खातेदारो की उपस्थिति में बाद पैमाईश व पत्थरगढी करे। पालना से अवगत करावे। अहकाम बनाम तहसीलदार बहरोड जारी की जावे।

आज दिनांक _____ को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समकिशोर मीना-11)

(आर.एस.)
उपसहस्र अधिकारी
बहरोड (कमेटपूतली-बहरोड)